Email

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :– 6/ग्रा0 ज0 1–101/2015(खण्ड) 421 (आ10) पटना – 15, दिनांक :– 25/01/2018

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, जमुई।

विषय – वर्ष 2017–18 में ''मुख्यमंत्री चापाकल योजना'' वर्ष 2015–16 के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु 50.00 लाख रूपये (पचास लाख रूपये) मात्र का आवंटन।

''मुख्यमंत्री चापाकल योजना'' के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु विभागीय पत्रांक – 6/ग्रा0 ज0–1–101/2015 – 1777 दिनांक – 08/07/15 द्वारा 26235.709 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2017–18 के राज्य योजना अन्तर्गत इस योजना से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु 50.00 लाख रूपये (पचास लाख रूपये) मात्र का आवंटन किया जाता है।

2. इस योजना पर होने वाला व्यय बजट का मुख्य शीर्ष – 4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय – उपमुख्य शीर्ष – 01–जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना – मांग संख्या – 36 – उप शीर्ष – 0107–ग्रामीण जलापूर्ति योजना (टयूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा) – विपत्र कोड – 36–4215017960107 – विषय शीर्ष – 0107.53.01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

3. इस आवंटन के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं इनके अन्तर्गत निर्गत सभी सरकारी आदेश के अनुरूप किया जायेगा।

4. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत योजना के अनुसार निर्माण कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में स्थापना या दूसरे मद में इस राशि का खर्च नहीं किया जायेगा।

5. आवंटित राशि वित्त विभाग के पत्रांक – एम0 04 – 05/98 – 2561 (वि0 – 2) दिनांक – 17–04–98 के अधीन निकासी हेतु विमुक्त है।

6. कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह की 10वीं तारिख तक मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवश्य भेज देंगे। प्रगति से जिला पदाधिकारी को भी नियमित रूप से अवगत कराते रहेंगे।

24/01/2018
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव

ज्ञापांक – 421 (अनु०)   पटना, दिनांक :– 25/01/2018

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विकास आयुक्त / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / प्रमंडलीय आयुक्त, मुँगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

3. जिला पदाधिकारी, जमुई / उप–विकास आयुक्त, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

4. कोषागार पदाधिकारी, जमुई / को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

6. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (यॉँत्रिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, भागलपुर / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / अधीक्षण अभियन्ता, मुँगेर / कार्यपालक अभियन्ता –सह– नोडल पदाधिकारी / उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (मो0–1) / निदेशक, (जल गुणवत्ता) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रभारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई0 टी0 मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी – 4, 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा–6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D.P. Singh 24.1.2018
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव